राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांकःएफ.3(26) / पोषा. / विविध / ICDS / 2014 / 31355-691 जयपुर, दिनांक 18/3/2020

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेंकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त।

विषय :– कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु एहतियात के तौर पर आंगनबाडी केन्द्र बंद किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– विभागीय आदेश कमांक प.11(3)(10) / मो. / ICDS / 2016–17 / 29950 दिनांक 15.03.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय जिसमें बचाव के लिये एहतियात के तौर पर प्रदेश में 31 मार्च 2020 तक सभी आंगनबाडी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाडी केन्द्र बन्द करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। साथ ही उक्त अवधि में लाभार्थियों को आंगनबाडी कार्यकर्ता /सहायिका द्वारा प्रावधान अनुसार TAKE HOME RASHAN का वितरण यथावत रूप से जारी रखा जावेगा व 3 से 6 वर्ष के आयु–वर्ग के बच्चों हेतु भी TAKE HOME RASHAN का वितरण किया जाने तथा वजन, त्यौहार एवं पोषण अभियान अन्तर्गत पोषण पखवाडा के कार्यक्रमों को आगामी आदेश तक स्थगित रखे जाने के निर्देश प्रदान किये हैं।

उक्त आदेशों की निरन्तरता में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें–

1. आंगनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत सभी श्रेणीवार लाभान्वितों को पोषाहार दिवस गुरूवार को टेक होम राशन की उपलब्धता आंगनबाडी कार्यकर्ता / सहायिका / आशा सहयोगिनी लाभान्वितों से गृह सम्पर्क करते हुए पूरक पोषाहार का वितरण सुनिश्चित करेंगी।
2. टेक होम राशन उपलब्ध कराने वाले स्वयं सहायता समूह को आयु–वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्यांनुसार 750 ग्राम प्रति लाभान्वित बेबी–मिक्स (एक सप्ताह की आवश्यकता के लिये) की अतिरिक्त मांग आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा प्रेषित करते हुए पूरक पोषाहार की प्राप्ति कर लाभान्वितों को वितरित किया जावे।

Scanned by CamScanner

3. उक्त अवधि में आयु–वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध कराये गये टेक होम राशन के पूर्ण उपयोग की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् ही उक्त आयु–वर्ग को आंगनबाडी केन्द्रों के नियमित संचालन पर गरम पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाये। ताकि टेक होम राशन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके।
4. उक्त अवधि में आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी आंगनबाडी केन्द्रों पर उपस्थित रहकर पूरक पोषाहार की उपलब्धता एवं इस संबंध में उपलब्ध समस्त पंजिकाओं/रिकॉर्ड का संधारण करेंगी। तथा गृह सम्पर्क के दौरान किशोरी बालिकाओं के लिये योजनान्तर्गत "11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली वास्तविक बालिकाओं" का सर्वे कर आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण करवायेंगी।
5. लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जाने वाले रेसीपी के अनुसार भारत सरकार से अनुदानित दरों पर गेहूं/चावल उपलब्ध कराये जाने हेतु आंगनबाडी केन्द्र का निकटवर्ती राशन की दुकान से मैपिंग करवाकर राजपोषण पर एप्लीकेशन में अपडेट करेंगी।
6. उक्तानुसार समस्त पंजीकृत श्रेणीवार लाभान्वितों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने की सुनिश्चतता एवं अन्य कार्यों को वांछित अवधि में पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित महिला पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी का होगा।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.3(26)/पोषा./विविध/ICDS/2014/31692-710 जयपुर, दिनांक 18/3/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1.विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2.निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3.निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4.समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5.एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

Scanned by CamScanner